संख्या-38/2017/973/59-2-2017-12(खा)/2017

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 14 दिसम्बर, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम्बल उत्पादन केन्द्र, गोपीगंज (भदोही) के पुनर्संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-201/खा0ग्रा0बो0/कम्बल/का0संचा0/2017-18, दिनांक-18-09-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में कम्बल उत्पादन केन्द्र, गोपीगंज (भदोही) के पुनर्संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 34.55 लाख (रू0 चौतीस लाख पचपन हजार मात्र) के सापेक्ष पचास प्रतिशत की धनराशि रू0 17.275 लाख (रूपये सत्रह लाख सत्ताइस हजार पांच सौ मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

2. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा। जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद एंव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0 एम0-8 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. प्रश्नगत धनराशि का आहरण कर उसे बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नही रखा जायेगा। धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-17-कम्बल उत्पादन केन्द्र, गोपीगंज (भदोही) के पुनर्संचालन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-38/2017/973(1)/59-2-2017-12(खा)/2017 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in